

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक- प.15(2) गृह-9/2011

जयपुर दिनांक - 5

आज्ञा

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13 (20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 04-07-2016 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया है:-

स्पष्टीकरण - अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म दिनांक 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है, तो उनके माता-पिता/पूर्वज दिनांक 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।

ये निर्देश दिनांक 18-08-2013 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 18-07-2013 एवं 09-09-2013 को यथानुरूप संशोधित किया जाकर स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसार ही पात्र व्यक्तियों को जारी किया जायें।

अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी के निर्धारण हेतु निम्न अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख को आधार बनाया जा सकेगा:-

1. मतदाता सूची की प्रति
2. भू-अभिलेख की प्रति
3. राशन कार्ड
4. अन्य राजकीय अभिलेख

उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

आज्ञा से

Sd
(दीपक उम्रेती)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. शासन वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
5. समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
7. निर्देशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार हेतु।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित।

निर्देशक सूचना

6-11
511
11/11/18

ADULT
SLO
6/11/18

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:- प.15(2) गृह-9/2011

जयपुर दिनांक:-

- 4 OCT 2018

संशोधित आज्ञा

समसंख्यक आज्ञा दिनांक 05 जुलाई 2018 में उल्लेखित " उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जा सकेंगे" के स्थान पर "उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश एवं तहसीलदार द्वारा जारी किया जा सकेगा" पढा जायें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र अग्रवाल)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान।
3. शासन वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(सुबेसिंह यादव)

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

1. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
4. जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

आयुक्त

प्रकोट

आवक संख्या

दिनांक

25-10-2018

(DPU)